न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

मुकदमा नम्बर 33/2015 निर्णय दिनांक 18.12.2019

स्व. भैराराम पुत्र स्व. लाभूराम 1/1 श्रीमती मांगीदेवी पत्नी स्व. भैराराम 1/2 1/3 ओमप्रंकाश 1/3 भूपेन्द्र कुमार 1/4 जगराम 1/5 पूनमचन्द 1/6 रामलाल पुत्र पुत्री स्व. भैराराम मेघवाल निवासीगण सूडसर (टेऊ) श्री डूँगरगढ हाल पलाना तहसील व जिला बीकानेर 2 झूमा पुत्री लाभूराम पत्नी आसूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम गाढवाला तहसील व जिला बीकानेर 4 लूणी पुत्री स्व. लाभूराम पत्नी चुनाराम जाति मेघवाल निवासी सिंजगुरू तहसील नोखा जिला बीकानेर

————वादीगण

बनाम

1 स्व. दाखी पत्नी स्व पेमाराम 2 कालूराम पुत्र स्व. पेमाराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम टेऊ (सूडसर) 3 अन्नीदेवी पुत्री स्व. पेमाराम पत्नी धन्नाराम 4 रेवन्तीदेवी पुत्री स्व. पेमाराम पत्नी नारायणराम 5 छोटीदेवी पुत्री स्व. पेमाराम पत्नी गेनाराम 6 शारदा पुत्री स्व. नैनीदेवी पुत्री स्व. पेमाराम 7 पेमी पुत्री स्व. नैनीदेवी पुत्री स्व. पेमाराम 8 कौशल्या नाबालिग 9 गौरीशंकर नाबालिग पुत्र पुत्री स्व. नैनीदेवी पुत्री स्व. पेमाराम मेघवाल जरिये कुदरतीवली अपने पिता रामदयाल हाल निवासी डेलवा तहसील श्री डूँगरगढ 10 बुधाराम 11 मालाराम 12 गंगा 13 समानी पुत्र पुत्री लालूराम मेघवाला निवासीगण टेऊ (सूडसर) 14 जेठी पुत्री लालूराम पत्नी फुसाराम मेघवाल निवासी राजेडू 15 दुर्गा पुत्री स्व. लालूराम पत्नी पुरखाराम मेघवाल निवासी टेऊ (सूडसर) तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर 16 स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ

———प्रतिवादीगण

उपस्थिति–

1 श्री साजिद खान अधिवक्ता वादी की तरफ से ।
2 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही ।
3 पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद इस न्यायालय में भैराराम ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 एक ही परिवार के सदस्य है । वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता स्व. पेमाराम व प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के नाना स्व. पेमाराम तथा प्रतिवादी संख्या 10 से 15 के पिता लालूराम की संयुक्त वादगत खेत का काफी समय पूर्व आपसी मौखिक हिस्सा पांति व बंटवारा किया हुआ है । आपसी मौखिक हिस्सा पांति व मौखिक बंटवारा के अनुसार वादीगण के हिस्से में उक्त खेत का पष्चिमी दक्षिणी 1/2 हिस्सा आया हुआ है जिस पर कब्जा काष्त उपयोग उपभोग वादीगण का चला आ रहा है । उक्त खेत में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता व 6 ता 9 के नाना पेमाराम व प्रतिवादी संख्या 10, 11 के नाम 3/7 हिस्से की खातेदारी दर्ज है । इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 के नाम 1/14 हिस्से की खातेदारी दर्ज है । खोतदार पेमाराम की मृत्यु हो चुकी है जिसके जायज वारिसानों में प्रअतवादी संख्या 1 से 9 है । स्व. पेमाराम का वादगत खसरा भूमि में 1/2 निहित है इसलिए वादगत खसरा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का 5/42 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 का 1/42 हिस्सा कानूनन बनता है । वादीगण अपनी संयुक्त खातेदारी के खेत

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 86 तादादी 16.24 हैक्टयर रोही मौजा टेऊ का विभाजन करवाना चाहते है । वादीगण का वादगत खेत में 1/2 हिस्सा पष्चिमी दक्षिणी भाग पर कब्जा काष्त, उपयोग उपभोग है । वादीगण अपनी उक्त 1/2 हिस्सा भूमि को कभी खुद काष्त करते है तथा कभी बिगेडी पर देकर काष्त करवाते है । वादीगण अपनी खातेदारी भूमि के 1/2 हिस्सा पर सुधार कार्य करवाकर भूमि को उपजाऊ बना रखी है । वादीगण अपने 1/2 हिस्सा भूमि पर कृषि कूप बनाना चाहते है परन्तु वादगत खसरा भूमि का विधिवत रूप से विभाजन नहीं हेने के कारण वादीगण को कई तरीके की कठिनाइयां आती है । वादीगण ने प्रतिवादीगण से वादगत खेत को मौखिक विभाजन के अनुसार खातेदारी अलग करवाने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादीगण टाल मटोल प्रत्युतर देते रहे परन्तु वादगत भूमि का विभाजन विधिवत रूप से आज तक नहीं करवाया इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभाजन का दावा प्रस्तुत कर रहे है । अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि–

(क) वादगत खेत खसरा नम्बर 86 तादादी 16.24 हैक्टयर वाके रोही टेऊ तहसील श्री डूँगरगढ में स्थित है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा पष्चिमी दक्षिणी भाग पर कब्जा काष्त चली आ रही है को मौखिक हिस्सा पांति व बंटवारा के अनुसार विभाजन किया जाकर अलग से खाता विभाजन किया जावें व तद्नुसार ही राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में अलग से तरमीम किए जाने का आदेष प्रतिवादी संख्या 16 को दिया जावे एवं अलग ही लगान कायम किया जावे ।

(ख) प्रतिवादीगणों को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 86 तादादी 16.24 हैक्टयर वाके रोही टेऊ तहसील श्री डूँगरगढ में वादी का 1/2 हिस्सा पष्चिमी दक्षिणी तरफ का खातेदारी कब्जे काष्त व अधिकार में है में किसी प्रकार की दखलअंदाजी पैदा नहीं करें ना काष्त करें ना ही विधिवत रूप से विभाजन करवाये वादगत खेत को किसी को विक्रय, रहन, बैय दीगर तरीके से मुन्तकिल करें ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अकृत्य करें जिससे वादीगण के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पडता हों ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

वाद के बीच में वादी का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके स्थान पर उनके जायज वारिसान 1/1 से 1/6 को पक्षकार बनाया जाकर बहस इकतरफा सुनी गई । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2068–2071 के अनुसार वादी वादगत खेत के 1/2 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार है । अतः वादी वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 86 तादादी 16.24 हैक्टयर वाके रोही टेऊ तहसील श्री डूँगरगढ जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है उसका खाता विभाजित किया जाता है । शेष प्रतिवादीगणों का हिस्सा यथावत रहेगा । तहसीलदार, श्री डूँगरगढ मौके पर पहुंच कर विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए, कब्जा काश्त के अनुसार वादी प्रतिवादी के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें । प्राथमिक डिक्री जारी हों ।

Scanned by CamScanner

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय बाद दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ

Scanned by CamScanner